राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:–www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :–एफ 55( )Engg./CE/DLB/ NGT_347/19/ 276-285 दिनांक :– 1.1.20

कारण बताओ नोटिस

1. आयुक्त नगर परिषद
   पाली, जालौर, भीलवाड़ा एवं माउंट आबू।
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका
   सरवाड़, प्रतापपुर गढ़ी, रानी, शिवगंज एवं रावतभाटा।

विषयः– जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC)के गठन की सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि दिनांक 13.11.2019 को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगरीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। इस क्रम में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पत्रांक प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 19 / 36403–36595 दिनांक 21.11.2019 एवं प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 19 / 37892–38084 दिनांक 09.12.2019 एवं एफ 55( )Engg./CE/DLB/ NGT_347/19/108290–296 दिनांक 17.12.2019 को जैव विविधता समिति गठन करने के आदेश दिये गये थे। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण मे दिनांक 09.08.2019 को सभी राज्य सरकारो को यह निर्देश दिये गये थे, कि हर स्थिति में दिनांक 31.01.2020 तक जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन कर लिया जावे अन्यथा 10 लाख रूपये प्रति माह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को जमा कराना होगा। आपको बार–बार निर्देशित करने के बाद भी उक्त कार्य समयबद्ध निर्धारित तिथि तक संम्पन नही किया गया है, जो लापरवाही का घोतक है।

अतः उपरोक्त का जवाब तीन दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावे, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :–एफ 55( )Engg./CE/DLB/NGT_347/19/ 286-294 दिनांक :– 1.1.20
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. उपनिदेशक (क्षैत्रिय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, जोधपुर, जयपुर एवं उदयपुर
4. मुख्य अभियंता, निदेशालय।
5. प्रोगामर निदेशालय विभागयी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता